अंचल कार्यालय,महागामा

केश का प्रकार :–

अभिलेख संख्या :– 50/16-17

अपर समाहर्त्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जॉच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र कु. यादव वो अंचल निरीक्षक श्री भागीरथी दास का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा बड़झा .... थाना नं0 642 गैरमजरूआ खाता नं0 84/32 दाग नं0 32 रकवा 08-00-0 किस्म परती कदीम श्री सचिव उच्च माध्यमिक हाई स्कूल पिता............ ... साकिन............के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री सचिव उच्च माध्यमिक हाई स्कूल को दिनांक............ समय .... पुर्वाहन् में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

(हस्ताक्षर) 21/7/16

अंचल अधिकारी,

महागामा।

28/6/18 अभिलेख उपस्थापित।
पुनः नोटिस निर्गत करें।

(हस्ताक्षर)
अंचल अधिकारी,
महागामा, गोड्डा।

sancha

10/12/2024 अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक - सह - प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा बसुआ थाना नं० - 692 के गैरमजरूआ खाता सं० - 24 के अन्दर दाग नं० - 32 का अंश रकबा 08-0-0 धूर किस्म परती कदीम भूमि पर जयनारायण उच्च विद्यालय, महाराजगंज अवस्थित है। वर्तमान में जयनारायण उच्च विद्यालय के नाम से दाग नं० - 24 के अन्दर 08-0-0 धूर जमीन पंजी II में संधारित है।

राजस्व उपनिरीक्षक - सह - प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा उक्त जमाबंदी को सही मानते हुए अभिलेख की कारवाई बन्द करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है।

लेखापित

10/12/2024
अंचल अधिकारी
महाराजगंज

10/12/2024
अंचल अधिकारी
महाराजगंज

Scanned with Cam

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :– अवैध संदेहास्पद वाद संख्या 50/2016–17 सचिव जयनारायण उच्च विद्यालय का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना हैं कि अवैध संदेहास्पद वाद संख्या 50/2016–17 सचिव जयनारायण उच्च विद्यालय का जांच किया। जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा–बसुआ, थाना नं0–692 के गैरमजरूआ खाता सं0–24 के अंदर दाग नं0–32 का अंश रकवा 08–00–00 धूर किस्म–परती–कदीम भूमि पर जयनारायण उच्च विद्यालय, महागामा अवस्थित है। वर्तमान में जयनारायण उच्च विद्यालय के नाम से दाग सं0–24 के अंदर 08–00–00 धूर जमीन पंजी–2 में संधारित है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

10-12-22

E/BK/900

Digitally signed by RANJAN YADAV
Date: 2022.12.12 15:33:12 +05:30
Location: 192.168.1.47

Scanned with Cam